न्यायालय : अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, शेखपुरा।
उपस्थितिः– प्र0 सतीश कुमार झा
जमानत आवेदन सं0–340/2026
उत्पाद थाना कांड सं0–117/26
बिहार राज्य बनाम् सुरेश चौधरी।

सुरेश चौधरी, पे0–स्व0 बौधु चौधरी, लगभग 55 वर्ष,
साकिन–पांची, थाना–शेखोपुर सराय, जिला–शेखपुरा ....आवेदक।

<u>**वनाम**</u>

बिहार सरकार .... विपक्षी।

आवेदक की ओर से : श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह, विद्वान अधिवक्ता।
विपक्षी की ओर से : श्री अरविंद कुमार, विद्वान विशेष लोक अभियोजक।

<u>**आ दे श**</u>

04.04.2026 काराधीन अभियुक्त सुरेश चौधरी की ओर से नियमित जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जो कि दिनांक 10.03.2026 से काराधीन है। उत्पाद थाना कांड संख्या–117/2026 अंतर्गत प्राथमिकी धारा 30(a) Bihar Prohibition & Excise (Amendment) Act 2018 से उद्भूत है तथा इसी न्यायालय में लंबित है, सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। उक्त जमानत आवेदन को आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा संचालित किया गया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि ये पूर्णतः निर्दोष हैं। इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, बल्कि इन्हें झूठा मुकदमा में फंसाया गया है। आवेदक द्वारा किसी भी न्यायालय में नियमित जमानत आवेदन एवं अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध उत्पाद थाना कांड सं0–513/2022 का आपराधिक इतिहास दर्ज है जिसमें 05 लीटर चुलाई शराब पाया गया था, जिसमें आवेदक जमानत पर मुक्त हैं। प्राथमिकी धारा 30(a) Bihar Prohibition & Excise (Amendment) Act 2018 के अंतर्गत 1.5 लीटर देशी चुलाई शराब बरामद होने का मुकदमा दर्ज किया गया है, जो कि आवेदक के विरुद्ध लागू नहीं होता है। आवेदक के सचेत कब्जे से किसी भी प्रकार शराब बरामद नहीं किया गया है। प्राथमिकी में कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है और धारा 103 का अनुपालन नहीं किया गया है। आवेदक को जमानत दिये जाने के उपरांत फरार होने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक दिनांक 10.03.2026 से काराधीन है। अतः इनको जमानत की सुविधा प्रदान की जाय।

इसके विपरीत, विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा उक्त जमानत का विरोध किया गया। अतः उपरोक्त अभियुक्त का जमानत आवेदन खारिज किया जाए।

उभयपक्षों को सुना। अभियोजन का मामला संक्षेप में है कि उत्पाद थाना दिनांक 10.03.2026 को समय करीब 04:30 ए0एम0 बजे गुप्त सूचना प्राप्त हुआ कि शेखोपुर सराय थाना अंतर्गत पांची गावं में सुरेश चौधरी पे0 स्व0 बौधु चौधरी के द्वारा अपने घर से चुलाई शराब का

न्यायालय : अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, शेखपुरा।
उपस्थितिः– प्र0 सतीश कुमार झा
जमानत आवेदन सं0–340/2026
उत्पाद थाना कांड सं0–117/26
बिहार राज्य बनाम् सुरेश चौधरी।

लगातार

04.04.2026

बिक्री किया जा रहा है। उक्त सूचना वरीय पदाधिकारी को अवगत कराकर आवश्यक कार्रवाई हेतु एक छापामारी दल का गठन कर थाना से प्रस्थान किया एवं सूचना अनुरूप शेखोपुर सराय थाना अंतर्गत पांची गावं में सुरेश चौधरी पे0 स्व0 बौधु चौधरी के घर के पास पहुंचे तो देखा गया कि एक व्यक्ति अपने घर के खुला आंगन में एक प्लास्टिक के बोतल को छुपाने का प्रयास कर रहा था जिसे पकड़कर नाम पता पूछने पर उन्होंने अपना नाम सुरेश चौधरी पे0 स्व0 बौधु चौधरी बताया। नियमानुसार विधिवत तलाशी लिया गया तो उनके कब्जे वाली प्लास्टिक के बोतल का भौतिक सत्यापन कर 02 लीटर क्षमता वाला पाया गया एवं उसमें से चुलाई शराब पाया गया। जिसके अंदर 01.500 लीटर चुलाई शराब बरामद एवं जप्त। विधिवत नियमों का पालन करते हुए सभी सामानों को बरामद किया गया एवं जप्ती सूची में अंकित किया गया एवं विधिवत रूप से गिरफ्तार किया गया।

अभिलेख का अवलोकन से यह विदित होता है कि प्राथमिकी धारा 30(a) Bihar Prohibition & Excise (Amendment) Act 2018 के अंतर्गत दर्ज किया गया। आवेदक दिनांक 10.03.2026 से काराधीन है। अभियुक्त के घर से 01.500 लीटर चुलाई शराब बरामद किया गया। जमानत आवेदन के पारा तीन के अनुसार इनका पूर्व में उत्पाद थाना कांड सं0–513/2022 का आपराधिक इतिहास दर्ज है जिसमें 05 लीटर चुलाई शराब पाया गया था। वाद का अनुसंधान जारी है।

अतः उक्त सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए आवेदक को जमानत की सुविधा प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। इसलिए आवेदक की ओर से दाखिल उक्त जमानत आवेदन को स्वीकार करते हुए आवेदक की ओर से दस हजार रूपये के जमानत बंधपत्र एवं उसी समान राशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है। साथ ही अभियुक्त को निर्देश दिया जाता है कि आवेदक का एक जमानतदार सगे–संबंधी होंगे एवं इस आशय का शपथ पत्र के साथ अंडरटेकिंग दाखिल करेंगे कि––

1. इस तरह की घटना में दुबारा सम्मिलित नहीं होंगे।
2. आवेदक आरोप गठन तक प्रत्येक तिथि को न्यायालय में उपस्थित रहेंगे,
3. आवेदक के विरुद्ध आपराधिक इतिहास पाये जाने पर इनका बंधपत्र स्वयं खंडित माना जाएगा।
4. अभियुक्त द्वारा न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने पर अभियोजन आग्रहनुसार इनका बंधपत्र खंडित कर दिया जाएगा।

लेखापित

प्र0– अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश,
शेखपुरा।

दिनांक 04–04–2026.

न्यायालय : अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, शेखपुरा।
उपस्थितिः– प्र0 सतीश कुमार झा
जमानत आवेदन सं0–340/2026
उत्पाद थाना कांड सं0–117/26
बिहार राज्य बनाम् सुरेश चौधरी।

Date Of Judgement/Order	04-04-2026
Date Of Reserving Judgement/Order	04-04-2026
Uploading date	06-04-2026
Uploaded by	Naveen Kumar Chaudhary.